इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, इन्दौर

चांदा तलावली मांगलिया, इन्दौर 453771

Phone : 0731-2811189, 2811553, 2811554,

Mobile No. 9406800317, Email – sanchi13a@gmail.com

!! खण्डवा शहर एवं ग्रामीण क्षेत्रों में साँची दूध एवं दुग्ध पदार्थ वितरण हेतु सुपरस्टाकिस्ट एवं परिवहन दर आमंत्रण हेतु ई–निविदा सूचना !!

इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्या., इन्दौर द्वारा दुग्ध संयंत्र खण्डवा से **विपणन मार्ग खण्डवा शहर एवं विपणन मार्ग क्रमांक (1) खेड़ी–छनेरा मार्ग (2) खण्डवा मुंदी, नर्मदा नगर मार्ग (3) खण्डवा, बुरहानपुर, शेखपुरा मार्ग, (4) खण्डवा, छैगांव माखन, देशगांव मार्ग** पृथक–पृथक विपणन मार्ग के क्षेत्रों में साँची दूध एवं दुग्ध पदार्थ वितरण कार्य हेतु सुपरस्टॉकिस्ट परिवहनकर्ता नियुक्ति हेतु परिवहन दर ई–निविदा के माध्यम से दरें आंमत्रित की जाती है। अधिक जानकारी के लिए आवेदन एम.पी.सी.डी.एफ. की वेब साईड sanchidairy.com पर देखा जा सकता है एवं निविदा प्रपत्र का निर्धारित मूल्य रू. 1,000/- का भुगतान कर वेबसाईट www.mptenders.gov.in से प्राप्त कर Online आवेदन दिनांक 17-08-2021 दोपहर 1:00 बजे तक जमा किया जा सकता है। निविदा ऑफर को स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने के अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्या., इन्दौर के पास सुरक्षित रहेगा।

इस निविदा सम्बन्धी कोई संशोधन होता है तो वह उपर वर्णित वेबसाईट के अलावा अन्यंत्र कहीं भी प्रकाशित नहीं की जावेगी।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी

आवेदन क्रमांक | आवेदन मूल्य रू. – **1000.00**

इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, इन्दौर

विपणन मार्ग खण्डवा शहर एवं विपणन मार्ग क्रमांक (1) खेड़ी–छनेरा मार्ग (2) खण्डवा मुंदी, नर्मदा नगर मार्ग (3) खण्डवा, बुरहानपुर, शेखपुरा मार्ग, (4) खण्डवा, छैगांव माखन, देशगांव मार्ग में साँची दूध एवं दुग्ध पदार्थ विक्रय हेतु सुपरस्टॉकिस्ट परिवहनकर्ता नियुक्ति हेतु परिवहन दर आमंत्रण हेतु ई–निविदा प्रपत्र।

निविदा आवेदन पत्र

वर्ष 2021

इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, इन्दौर
चांदा तलावली मांगलिया, इन्दौर **453771**
Phone : 0731-2802554, Fax No. 0731-28011559
Email – sanchi13a@gmail.com

इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित
चांदा तलावली, मागंलिया, इन्दौर

॥ सुपरस्टॉकिस्ट परिहवनकर्ता नियुक्ति हेतु ई–निविदा प्रपत्र ॥

(1)	ई–निविदा प्रपत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि एवं समय।	▪	17/08/2021 दोप. 01.00 बजे तक।
(2)	ई–निविदा (ऑन लाईन) जमा करने की अंतिम दिनांक व समय	▪	17/08/2021 दोप. 01.00 बजे तक।
(3)	निविदा खोलने की तिथि एवं समय।	▪	18/08/2021,दोप. 02.00 बजे।
(4)	निविदा के साथ जमा की की जाने वाली अमानत राशि।	▪	रू. 1,00,000/- (अक्षरी रू. एक लाख मात्र)
(5)	सुपरस्टॉकिस्ट हेतु तकनीकी अर्हताओं का प्रारूप।	▪	प्रपत्र 01
(6)	सुपरस्टॉकिस्ट की सामान्य शर्ते।	▪	प्रपत्र 02
(7)	सामान्य जानकारी आवेदन पत्र	▪	प्रपत्र 03
(8)	विपणन मार्ग की जानकारी	▪	प्रपत्र 04
(9)	''भाव पत्र/दरे'' प्रस्तुत करने का प्रारूप। (ऑन लाईन)	▪	प्रपत्र 05

-X-

(तकनीकी अर्हतायें)
प्रपत्र - 01

प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
इन्दौर सह.दुग्ध संघ मर्या.
इन्दौर

विषय :— साँची दूध एवं दुग्ध पदार्थ सुपरस्टॉकिस्ट परिवहनकर्ता हेतु आवेदन पत्र।

महोदय,

साँची दूध एवं दुग्ध पदार्थ सुपरस्टाकिस्ट हेतु दिनांक ----------------- को .... समाचार पत्र मे प्रकाशित विज्ञापन के संदर्भ मे निवेदन करता हूँ कि मेरे द्वारा निविदा प्रपत्र मे वर्णित समस्त शर्ते एवं निर्देश पढ कर समझ लिये गये है। यदि मेरी निविदा स्वीकृत की जाती है तो मै आपके द्वारा निर्धारित शर्तो के अनुसार कार्य करने हेतु सहमत हूँ।

—=0 तकनीकी अर्हतायें 0=—

क्रं.	आवश्यक आर्हता	विवरण
1.	आवेदक का नाम व पता (संस्था/फर्म आदि की दशा मे पंजीयन का प्रमाण	(विवरण ऑन लाईन प्रस्तुत करें)
2.	यदि कोई पार्टनर हो तो उनका नाम, पता एवं पार्टनरशिप डीड संलग्न करें।	
3.	संस्था/फर्म होने की दशा मे अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम।	
4.	निविदाकर्ता का आधार नम्बर होना अनिवार्य है।	
5.	पान नम्बर की प्रति संलग्न करें।	
6.	परिवहन कार्य हेतु उपलब्ध रेफ्रीजरेटेड/तापरोधी वाहन के दस्तावेज एवं नया वाहन खरीदने की दशा में रू. 100/— के स्टाम्प पत्र पर नोटिराईज्ड शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।	
7.	खाद्य एवं सुरक्षा का लाईसेंस/पंजीयन की प्रति संलग्न करें।	
8.	इनकम टेक्स रिर्टन वित्तीय वर्ष 2017—18, 2018—19 एवं 2019—20 तीनों वर्षो की प्राप्तियॉ प्रस्तुत करना होगी।	
9.	निविदाकार का प्रति वर्ष मे न्यूनतम 1.50 करोड़ का टर्न ओवर आवश्यक होगा। टर्न ओवर ज्ञात करने हेतु वर्ष 2017—18, 2018—19 एवं 2019—20 के स्थिति विवरण पत्रक सी.ए. द्वारा प्रमाणित कराकर प्रस्तुत करना होगा एवं एफ.एम.सी.जी. का अनुभव होना अनिवार्य है।	
10	आवेदनकर्ता के विरूद्ध किसी प्रकार का न्यायालयीन प्रकरण नहीं हो जिसका सत्यापन निकटम पुलिस थाने से बनाना अनिवार्य है।	
11	निविदाकर्ता का जी.एस.टी. नम्बर की प्रति संलग्न करें।	
12	निविदाकर्ता का संबंध अध्यक्ष/संचालक मण्डल के सदस्यों, दुग्ध संघ के अधिकारी/कर्मचारी से निकट के रिश्तेदार नही है एवं किसी भी दुग्ध संघ द्वारा ब्लेकलिस्ट नही किया गया हो रू. 100 के स्टाम्प पत्र पर नोटिराईज्ड शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।	
13	ई.एम.डी. राशि ऑनलाईन प्रस्तुत करना होगी।	

नोट — उपरोक्त दर्शित बिन्दुओं से संबंधित जानकारी/प्रमाणक ऑन लाईन प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

हस्ताक्षर — — — — — — — — — —
नाम — — — — — — — — — —
पता — — — — — — — — — —
— — — — — — — — — —
दूरभाष/मोबाईल नम्बर— — — — — — — — — —

(समान्य शर्ते)
प्रपत्र क्रमांक – 02

इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित,

साँची दूध एवं दुग्ध पदार्थ सुपरस्टाकिस्ट परिवहनकर्ता निविदा हेतु आवश्यक शर्ते

1) आवेदनकर्ता को चाहे गए समस्त दस्तावेज ऑन–लाईन अपलोड करना अनिवार्य है।

2) आवेदक को ऑन लाईन राशि रू. रूपये 1,00,000/- (अक्षरी रूपये एक लाख मात्र) अर्नेस्ट मनी के रूप में जमा करना अनिवार्य होगा। अर्नेस्ट मनी जमा न करने की स्थिति में आवेदन पर विचार नहीं किया जावेगा, तथा ऐसे आवेदन स्वतः निरस्त माने जावेगें।

3) सफल निविदाकार की नियुक्ति पश्चात संघ मे प्रतिभूति राशि पेटे रूपये 25.00 लाख आर.टी.जी.एस. के माध्यम से दुग्ध संघ के खाते मे जमा करना होगा तथा राशि रू. 25.00 लाख की बैंक ग्यारंटी प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। ई.एम.डी. राशि का समायोजन प्रतिभूति राशि मे किया जावेगा। दूध विक्रय वृद्धि होने पर आनुपातिक रूप से प्रतिभूति राशि मे वृद्धि की जावेगी।

4) असफल निविदाकारों की ई.एम.डी. राशि निविदा खोलने की दिनांक से 30 कार्य दिवस मे वापस की जावेगी जिस पर कोइ ब्याज देय नही होगा।

5) मध्यप्रदेश के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम स्तर के व्यवसायियों को ई–निविदा मे प्रतिभूति राशि के भुगतान से छूट रहेगी परंतु एमएसएमई (सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग) का पंजीयन प्रमाण पत्र ऑनलाईन प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

6) सुपरस्टॉकिस्ट परिवहनकर्ता के माध्यम से विक्रीत दूध पर प्रचलित 15 पैसे प्रतिलीटर सुपरस्टॉकिस्ट मार्जिन, 50 पैसे वितरक मार्जिन तथा 2.50 रू. विक्रेता मार्जिन कुल राशि रू. 3.15 प्रतिलीटर दिया जावेगा। भविष्य में देय मार्जिन में परिवर्तन का अधिकार दुग्ध संघ के पास सुरक्षित रहेगा।

7) सुपरस्टॉकिस्ट परिवहनकर्ता के द्वारा किये जाने वाले कार्य निम्नानुसार रहेगें :–

✍ सुपरस्टाकिस्ट को साँची दूध एवं दुग्ध पदार्थ की प्रदायगी वितरण डाक, दुग्ध संयंत्र खण्डवा से की जावेगी।

✍ सुपरस्टॉकिस्ट को तापरोधी/रेफ्रिजरेटेड वाहन संचालित करना होगा।

✍ सुपरस्टॉकिस्ट को भरी एवं खाली क्रेटों का हिसाब रखना होगा एवं संघ को प्रत्येक माह मिलान हेतु हिसाब प्रस्तुत करना होगा। साथ ही प्रतिदिन जितनी भरी क्रेटें प्रदाय होती है उतनी ही संख्या मे खाली क्रेटें निर्धारित समय पर जमा करना होगी।

✍ सुपरस्टॉकिस्ट को साँची दूध की वेरियंट अनुसार मांग एकत्रित कर, गणना कर निर्धारित समय पर लिखित में अथवा ई–मेल द्वारा प्रतिदिन दुग्ध संयंत्र को देना होगी।

✍ सुपरस्टॉकिस्ट के पर्यवेक्षक/वाहन चालक, वाहनों में हो रहे दूध लोडिंग के पूर्व यह सुनिश्चित् करेगें कि दूध हर तरह से अर्थात गुणवत्ता, शीतलीकृत तापमान, लीकेज, वजन, क्रेट में निर्धारित संख्या पैकेट आदि से अच्छा है, इसके पश्चात् संघ किसी भी रूप में उत्तरदायी नहीं रहेगा। इस हेतु यह आवश्यक होगा की सुपरस्टॉकिस्ट अपने पर्यवेक्षक के नाम मय फोटो I.D. प्रुफ के संघ में जमा करावेगा ताकि उनकी अनुपस्थिति रिकार्ड संघ मे रखा जा सके। पर्यवेक्षकों की उनुपस्थिति के विरूद्ध प्रबन्ध द्वारा निर्धारित पैनल्टी लगाने का अधिकार संघ के पास सुरक्षित रहेगा।

✍ सुपरस्टॉकिस्ट द्वारा दूध विक्रय की अग्रीम राशि NEFT/RTGS के माध्यम से प्रतिदिन दोपहर 3.00 बजे तक संघ खाते मे जमा करना अनिवार्य होगा। राशि जमा नहीं होने पर दूध प्रदाय करना संभव नहीं होगा। पांच बार राशि जमा नहीं होने पर दूध प्रदाय बाधित होता है तो सुपरस्टॉकिस्ट की सेवाऐं समाप्त की जा सकेगी। यदि कण्डिका की शर्त अनुसार भुगतान प्राप्त नहीं होता है तो ब्याज एवं पैनल्टी लगाई जावेगी।

✍ सुपरस्टॉकिस्ट द्वारा उठायी गई दूध मात्रा की नियत राशि संघ द्वारा वसूल की जा सके इस हेतु **इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, इन्दौर** के नाम अकाउण्ट–पे रेखाकिंत पांच चैक अग्रिम में संघ को देना होगा। जिसका विशेष परिस्थितियों मे संघ द्वारा उपयोग किया जा सकेगा।

8) यह कि अनुबंधित अवधि में डीजल की दरों में जो वृद्धि/कमी होगी उसके अनुसर सुपरस्टॉकिस्ट वितरक सह–परिहवनकर्ता की दरो में भी वृद्धि/कमी अनुपातिक दर से की जा सकेगी।

9) निविदाकार के पास GST नम्बर उपलब्ध हो तो ऑन लाईन प्रस्तुत करें अन्यथा कार्य आवंटन के पूर्व अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा।

10) सुपरस्टॉकिस्ट द्वारा भेजा जाने वाला वाहन यदि रास्ते में खराब होता है तो सुपरस्टॉकिस्ट का प्रमुख दायित्व रहेगा कि तत्काल वैकल्पिक व्यवस्था करेगा।

11) सुपरस्टॉकिस्ट द्वारा नियुक्त अधिकृत वितरकों/विक्रेताओं को दिये जाने वाले मार्जिन एवं परिवहन व्यय का भुगतान सुपरस्टॉकिस्ट के माध्यम से किया जावेगा एवं भुगतान का रिकार्ड सुपरस्टॉकिस्ट को रखना होगा एवं सत्पान हेतु संघ को प्रस्तुत करना होगा। प्रस्तुत नहीं होने पर आगामी माह में मार्जिन का भुगतान नहीं होगा।

12) सुपरस्टॉकिस्ट वितरक को सम्पूर्ण क्षेत्र में किन्ही विपरित परिस्थिति जैसे शहर बंद, कर्फ्यू, निजी दूध व्यवसायियों की उपभोक्ताओं को दूध प्रदाय नहीं करने संबंधी हड़ताल आदि अवसरों पर दूध का प्रदाय अपनी जिम्मेदारी पर अनिवार्य रूप से करना होगा।

13) FMCG (Fast Moving consumer goods वितरण का अनुभव होना चाहिए, दूध व्यवसाय करने वालें को प्राथमिकता दी जावेगी।

14) शासन द्वारा निर्धारित वर्गवार (अ.जा., अ.ज.जा., पि. वर्ग, सामान्य) आवंटन अनुसार एवं विकलांग आवेदनकताओं को प्राथमिकता दी जावेगी, जिस हेतु प्रमाण–पत्र आन–लाईन प्रस्तुत करना होगा।

15) सुपरस्टॉकिस्ट को संघ द्वारा निर्धारित सम्पूर्ण क्षेत्र में साँची दूध एवं दुग्ध पदार्थ के व्यवस्थित वितरण हेतु व्यवस्था करना होगी साथ ही वितरण कार्य में लगाये जाने वाले क्षेत्रीय वितरण वाहन (2016 या उसके बाद के मॉडल) तापरोधी होकर चारों ओर से बन्द (लोडिंग – अनलोडिंग हेतु एक ओर दरवाजा हो एवं पर्याप्त प्रकाश) की व्यवस्था भी करना होगी। इस संबंध में आवश्यक दस्तावेज जैसे :– वाहन किराया, अनुबंध रजिस्ट्री आदि तथा वाहन रजिस्ट्रेशन भी जमा करवाने होगें।

16) सुपरस्टॉकिस्ट को दूध प्रदाय करते समय उसकी जाँच–परख हर दृष्टि से सुनिश्चित् कर लेना होगा। प्रदाय होने पश्चात् किसी भी प्रकार लीकेज/कम मात्रा, क्रेट आदि की जिम्मेदारी सुपरस्टॉकिस्ट की रहेगी।

17) सुपरस्टॉकिस्ट को संघ की निर्धारित शर्तों अनुसार **रूपये** 1,000/- के नॉन ज्युडिशियल स्टाम्प पेपर पर अनुबंध निष्पादित करना होगा। यह कि प्रथमपक्ष द्वारा द्वितीय पक्ष को केवल साँची दूध एवं दुग्ध पदार्थ वितरण/विक्रय हेतु आवंटित क्षेत्रों हेतु पूर्णतः अस्थाई रूप से 3 वर्ष की अवधि हेतु सुपरस्टॉकिस्ट नियुक्त किया गया है तत्पश्चात कार्य, वित्तीय व्यवहार, लक्ष्य पूर्ति संतोषजनक होने पर एक एक वर्ष कर दो वर्ष तक वृद्धि की जा सकेगी।

18) संघ से क्रय की गई दूध मात्रा की राशि NEFT/RTGS के माध्यम से संघ खाते में प्रतिदिन जमा करवानी होगी। बैंक अवकाश के दिनों में भी ऑन लाईन राशि दुग्ध संघ के खाते में हस्तातंरण कराना अनिवार्य है।

19) सुपरस्टाकिस्ट की नियुक्ति पश्चात समस्त संचालित वाहनों पर ब्राण्डिंग संघ द्वारा दी गई डिजाईन अनुसार आपकों अपने व्यय पर कराना होगी।

20) निविदा प्रपत्र के साथ आपके विरूद्ध किसी प्रकार का न्यायालयीन प्रकरण नहीं हो, जिसका सत्यापन निकटतम पुलिस थाने से बनाकर प्रस्तुत करें।

21) किसी भी निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, इन्दौर को होगा।

22) प्राप्त आवेदन की समीक्षा गठित चयन समिति के द्वारा की जावेगी, एवं चयन प्रक्रिया के संबंध में मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम एवं समस्त आवेदकों पर बंधनकारी होगा।

23) आवेदन स्वीकृत होने के बाद किसी भी कारणवश कार्य नहीं करने पर आवेदनकर्ता की अर्नेस्ट मनी राजसात करने का निर्णय मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा लिया जा सकेगा।

24) निविदा ऑफर को स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने के अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्या., इन्दौर के पास सुरक्षित रहेगा।

25) सुपरस्टॉकिस्ट उपभोक्ताओं को MRP पे ही साँची दूध विक्रय कराया जाना सुनिश्चित करेगें। MRP से अधिक विक्रय होने पर वैधानिक कार्यवाही के लिए सुपरस्टॉकिस्ट/वितरक/रिटेलर जिम्मेदार होगें।

26) सुपर स्टाकिस्ट परिवहनकर्ता को दुग्ध संघ द्वारा निर्धारित विपणन मार्गों पर प्रतिदिन क्षमता अनुसार वाहनों का संचालन करना अनिवार्य होगा।

27) किसी भी प्रकार का विवाद होने पर माननीय अध्यक्ष महोदय, इन्दौर दुग्ध संघ का निर्णय दोनों पक्षों को मान्य होगा।

28) किसी भी प्रकार का विवाद होने पर न्यायक्षेत्र इन्दौर रहेगा।

मेरे द्वारा साँची दूध एवं दुग्ध पदार्थ सुपरस्टॉकिस्ट हेतु आवेदन एवं उसकी समस्त शर्ते पढ़ व समझ ली है तथा मै सभी शर्तो को मानने के लिये सहज तैयार हूँ/है। आवेदन में दी गई जानकारी पूर्णतः सत्य है यदि मेरे द्वारा आवेदन में प्रस्तुत जानकारी असत्य प्रमाणित होती है या मैं बिन्दु क्रमांक 01 से 28 तक वर्णित शर्तों एवं निर्देशन का पालन नहीं करता हूँ एवं मेरी अर्नेस्ट मनी राजसात करने का प्रबन्ध द्वारा निर्णय किया जाता है तो मैं इस हेतु अपनी सहमति देता हूँ।

नाम – .... **हस्ताक्षर**

❖ साँची दूध एवं दुग्ध पदार्थ सुपरस्टॉकिस्ट परिवहनकर्ता हेतु ❖

ई–निविदा प्रपत्र/आवेदन

पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा करे

1.	आवेदक का नाम	■	————————————
2.	पिता/पति का नाम	■	————————————
3.	स्थाई पता (प्रमाण सहित)	■	———————————— ———————————— ————————————
4.	व्यवसाय का पता	■	———————————— ———————————— ————————————
	(अ) दूरभाष नं.	■	
	(ब) मोबाईल नं.	■	
5.	शैक्षणिक योग्यता	■	————————————
6.	आवेदनकर्ता का वर्ग (अजा, अजजा, पि. वर्ग, सामान्य)	■	————————————
7.	आवेदक/फर्म का नाम/यदि फर्म पार्टनरशिप है तो पार्टनर–शिप फर्म की पूर्ण जानकारी (दस्तावेजों की छायाप्रति सहित) देना अनिवार्य है।	■	———————————— ———————————— ————————————
8.	वर्तमान व्यवसाय	■	————————————
9.	वर्तमान व्यवसाय का टर्न ओवर (टर्न ओवर प्रमाण पत्र संलग्न करे)	■	————————————

10. वित्तीय स्थिति (बैंक खाता नं.) ▪ ——————————————

(अ) चल–अचल सम्पति का ब्योरा। –

(ब) बैंक एवं वित्तीय संस्थाओं मे जमा राशि। – – – – – – – – – – – – – –

11. सुपरस्टाकिस्ट हेतु आवश्यक पूंजी की व्यवस्था। ▪ –

नोट– परिवहन दर वास्तविक संचालन व्यय से कम होने पर निविदाकर्ता द्वारा प्रस्तुत आवेदन अमान्य किया जावेगा।

दिनांक – .... **आवेदक के हस्ताक्षर**

पुरा नाम ....

(विपणन मार्ग की जानकारी)
प्रपत्र क्रमांक – 04

दुग्ध संयंत्र खण्डवा से संबंध विपणन मार्ग की जानकारी

क्रं.	विपणन मार्ग का नाम खण्डवा ग्रामीण क्षेत्र	अनुमानित दुरी (आना–जाना)	तापरोधी वाहन का प्रकार	रेफ्रिजरेटेड वाहन का प्रकार	प्रदाय केटों की संख्या
1	**खण्डवा खेड़ी छनेरा मार्ग :–** अमलपुरा, खेड़ी, मलगांव, खार, खालवा, आशापुर, छनेरा	125 कि.मी.	Pickup/ समकक्ष वाहन	-	200
2	**खण्डवा मुंदी नर्मदा नगर :–** सिंहाना, जावर, केल्हारी, मुंदी, बिड, शिवरिया, बांगड़दा, बादलीखेड़ा, पुनासा, नर्मदा नगर, गुर्जरखेड़ी, मोहना, बखरगांव, कालमुखी, अटूटखांस, खूटलाकला, जलवा बुर्जुग	195 कि.मी.	Pickup/ समकक्ष वाहन	-	200
3	**खण्डवा, बुरहानपुर, शेखपुराः–** डूल्हार, रूस्तमपुर, बोरगांव बुर्जुग, नयापुरा, हसनपुरा, असीरगढ़, नेपानगर, निम्बोला, बुरहानपुर, शाहपुर, खकना, देड़तलाई, शेखपुरा, गुडी, सिंगोट, जसवाड़ी	220 कि.मी.	-	Tata 608 या समकक्ष	550
4	**खण्डवा छैगांव माखन देशगांव :–** छैगांवदेवी, छैगांव माखन, भोजाखेड़ी, देशगांव,	55 कि.मी.	Pickup/ समकक्ष वाहन	-	120
5	**खण्डवा शहर (सम्पूर्ण)**	–	Pickup/ समकक्ष वाहन	-	850

प्रपत्र क्रमांक – 05

साँची दूध एवं दुग्ध पदार्थ सुपरस्टॉकिस्ट परिवहनकर्ता हेतु फाइनेंशियल बिड

क्रं.	विपणन मार्ग का नाम खण्डवा ग्रामीण क्षेत्र	ऑनलाईन दर प्रति लीटर में प्रस्तुत करें
1	**खण्डवा खेड़ी छनेरा मार्ग :–** अमलपुरा, खेड़ी, मलगांव, खार, खालवा, आशापुर, छनेरा मार्ग की अनुमानित दूरी 125 कि.मी., क्रेट की संख्या 200 नग, पिकअप तापरोधी वाहन या समकक्ष	**प्रस्तुत औसत दर प्रति लीटर में।**
2	**खण्डवा मुंदी नर्मदा नगर :–** सिंहाना, जावर, केल्हारी, मुंदी, बिड, शिवरिया, बांगड़दा, बादलीखेड़ा, पुनासा, नर्मदा नगर, गुर्जरखेड़ी, मोहना, बखरगांव, कालमुखी, अटूटखांस, खूटलाकला, जलवा बुर्जुग मार्ग की अनुमानित दूरी 195 कि.मी., क्रेट की संख्या 200 नग, पिकअप तापरोधी वाहन या समकक्ष	
3	**खण्डवा, बुरहानपुर, शेखपुराः–** डूल्हार, रूस्तमपुर, बोरगांव बुर्जुग, नयापुरा, हसनपुरा, असीरगढ़, नेपानगर, निम्बोला, बुरहानपुर, शाहपुर, खकना, देड़तलाई, शेखपुरा, गुडी, सिंगोट, जसवाड़ी मार्ग की अनुमानित दूरी 220 कि.मी., क्रेट की संख्या 550 नग, टाटा 608 या समकक्ष (रेफ्रीजरेटेड वाहन)	
4	**खण्डवा छैगांव माखन देशगांव :–** छैगांवदेवी, छैगांव माखन, भोजाखेड़ी, देशगांव मार्ग की अनुमानित दूरी 55 कि.मी., क्रेट की संख्या 120 नग, पिकअप तापरोधी वाहन या समकक्ष	
5	**खण्डवा शहर (सम्पूर्ण) :–** तापरोधी वाहन, क्रेट की संख्या 850	

नोट :–

1. परिवहन दर वास्तविक संचालन व्यय से कम होने पर निविदाकर्ता द्वारा प्रस्तुत आवेदन अमान्य किया जावेगा।
2. उपरोक्त पाँचो विपणन मार्गों हेतु एक ही दर प्रति लीटर मे प्रस्तुत की जावें।